

समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत जन्म से दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक भत्ता दिये जाने हेतु पेंशन का प्रार्थना-पत्र

समाज कल्याण की वैवसाईट

www.socialwelfare.uk.gov.in

नवीनतम् फोटो जो ग्राम प्रधान / सदस्य
क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत
अध्यक्ष / सभासद नगरपालिका / ग्राम
विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापित

अभिभावक द्वारा घोषणा—

मैं कू0 / श्रीमती / श्री घोषणा

करती / करता हूँ कि आवेदन-पत्र में उपरोक्त दी गयी सूचना सही हैं। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर नियमानुसार मुझसे, सरकार द्वारा दिये गये लाभ की वसूली भू-राजस्व की भौति कर ली जाय।

दिनांक.....

माता / पिता अथवा अभिभावक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि कु0 / श्री..... / पिता..... जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम एवं दिव्यांगता प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक है, और दिव्यांग भरण पोषण भत्ता अनुदान हेतु पात्रता की श्रेणी में आती हैं / आते हैं, का आज खली बैठक में चयन किया।

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं महार

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं मुहर

शहरी क्षेत्र के लिये

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

नोट— * समक्षित कालम अनिवार्य का से भवे जाने हैं।

- सम्बन्धित कालम आवाय रूप से भरे जाने हैं।